समाहरणालय सहरसा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

— :: *आपूर्ति आदेश* :: —

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाढ़ आपदा एवं अग्निकांड के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2017 के लिए DGS&D के दर पर निबंधित फर्म/सप्लायर से प्राप्त निविदा पर विचार करने हेतु पॉलीथीन शीट्स के क्रय के लिए दिनांक 29.06.2017 को जिला क्रय समिति की बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक की कार्यवाही एवं जिला क्रय समिति के उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा DGS&D में निबंधित फर्म सनहित पोलिमर, बोलपुर, पश्चिम बंगाल से 250 Micro Metre के लम्बाई X चौड़ाई (4X5) Metre आकार के पॉलीथीन शीट्स क्रय करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार निम्नांकित गुणवत्ता के अनुरुप पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति करने का आदेश सनहित पोलिमर, बोलपुर, पश्चिम बंगाल को दिया जाता है :–

क्र०	आपूर्तिकर्त्ता फर्म का नाम/पता	आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का नाम	मात्रा/संख्या	आकार	दर DGS&D के अनुसार/क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर	गुणवत्ता
01	सनहित पोलिमर, श्री निकेतन रोड, पोस्ट– बोलपुर, जिला– बीरभूम, पश्चिम बंगाल – 731204	पॉलीथीन शीट्स	3000 (तीन हजार) पीस	250 Micro Metre (4X5) Metre	150.00 (एक सौ पचास रुपये) प्रति किलोग्राम (Excise duty & All Taxes Included)	LDPE BLACK पॉलीथीन शीट्स 250 Micro Metre (4X5) Metre वनज/ISI 2508/1984 के अनुसार

आपूतिकर्त्ता को आदेश दिया जाता है कि पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति DGS&D द्वारा मापदंड एवं गुणवत्ता के अनुरुप करनी होगी।

आपूरित पॉलीथीन शीट्स DGS&D द्वारा निर्धारित ISI 2508/1984 के अनुसार निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन का प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्त्ता फर्म को उपलब्ध करानी होगी।

आपूर्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री निर्गत आदेश पत्र की प्राप्ति तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, सहरसा को आपूर्ति करनी होगी। आपूर्ति आदेश अनुपालन नहीं करने अथवा विफल होने की स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध यशोचित कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति आदेश रद्द किया जा सकता है। आपूर्ति हेतु कोई परिवहन शुल्क एवं अग्रिम राशि अलग से देय नहीं होगी।

उपरोक्त कंडिका के अनुरुप पॉलीथीन शीट्स पाये जाने पर आवश्यक करों की कटौती के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

आपूर्तिकर्त्ता फर्म के द्वारा कर चुकता प्रमाण–पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत करने पर कर की कटौती नहीं की जायेगी। अन्यथा सभी करों की कटौती कर भुगतान किया जाएगा।

ह०/–
जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 280-2/आ०प्र०, सहरसा, दिनांक 12/08/, 2017 ई०।

प्रतिलिपि :– सनहित पोलिमर, श्री निकेतन रोड, पोस्ट– बोलपुर, जिला– बीरभूम, पश्चिम बंगाल–731204 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ADG (Q.A) 0/0 DGS&D 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Steel, New Delhi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– गोदाम प्रभारी, आपदा प्रबंधन शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा आपूरित किये जाने वाली पॉलीथीन शीट्स को स्थानीय धर्मकाँटा में तौल कराने के पश्चात् प्राप्त करेंगे तथा आपदा प्रबंधन के भंडार में भंडारित करते हुए भंडार पंजी संधारित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को सहरसा जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

12.8.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।